

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेखा बनाम देवीसिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 228/2022/338

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/5/2022	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती रेखा</p> <p>पत्नी श्री बालमुकन्द जी गदिगा</p> <p>निवासी- घोखुडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सतपुडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 182/1, 183/1</p> <p>कुल कीता 2 कुल रकबा 2.0000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम सतपुडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 182/1, 183/1</p> <p>कुल कीता 2 रकबा 2.0000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(श्याम सुन्दर विश्वाकर्षी) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>